न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : शैलेश सुराणा, RAS.
पत्रावली संख्या : 30/18 (विविध प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती सुशीला कुंवर पत्नी करण सिंह राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।

................प्रार्थीया

बनाम

1. श्री नारायण लाल पिता रामाजी भोई निवासी नायकवाडी, भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री निर्भय सिंह पिता रामसिंह राजपुत निवासी नागदो का मोहल्ला, भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर ।

...............विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री लक्ष्मणगिरी गोस्वामी , अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 28.11.2019

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0) में आराजी नम्बर 4477/2 किता 1 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम पर दर्ज होकर प्रार्थीया उक्त भूमि की एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर उक्त भूमि प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में हैं।

2. उक्त वर्णित भूमि के पड़ौस में विपक्षीगणों की भूमि स्थित है और प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन

कभी घास काटने तो कभी बाड़ को लेकर विवाद होता है जिससे प्रार्थीया ने अपनी उक्त वर्णित भूमि की दिनांक 22.06.2018 को पत्थरगड़ी कराने के लिए विपक्षीगणों से कहा तो विपक्षीगणों ने सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कराने के लिए कहा, जिससे प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र पेश करने पर विवश होना पड़ा हैं।

3. बिनाय प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण दिनांक 22.06.2018 को पैदा हुआ जब कि विपक्षीगणों को प्रार्थीया ने भूमि की पत्थरगड़ी कराने के लिए कहा तो उन्होंने कानूनी कार्यवाही कराने को कहा, तब से निरन्तर जारी है।

4. अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजीयात की प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में तहसीलदार भीण्डर के जरिये पत्थरगड़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 पेश की गई है ।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विपक्षीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया गया । विपक्षीगण 1 एवं 2 को सूचना होने के पश्चात भी अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध दिनांक 06.08.2018 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार भीण्डर औपचारिक आवश्यक पक्षकार होने से जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहा ।

7. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0) में नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के अनुसार आराजी नम्बर 4477/2 किता 1 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के एकल अधिकार एवं आधिपत्य की है। प्रार्थीया स्वयं खातेदार काश्तकार है, इसलिये प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है । अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार भीण्डर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0) में नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071

के अनुसार प्रार्थीया की एकल खातेदारी की आराजी नम्बर 4477/2 किता 1 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 की उपस्थिति में करवायी जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थीया मौके पर अदा करें ।

9. तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(शैलेश सुराणा) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2019.12.03 18:21:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: